श्रमायुक्त कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5–शाम नाथ, मार्ग, दिल्ली– 110054

पत्र संख्या. 28/11/736/पी. एंड एस./लैब./2021/5438 दिनांक: 29/12/2021

सेवा में,

उपसचिव, प्रश्न शाखा,
दिल्ली विधान सभा,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
दिल्ली–110054

विषयः दिनांक 03.01.2022 को सदन की बैठक हेतु प्रश्न की अतांराकित प्रश्न संख्या 81

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित विधानसभा में प्रस्तुति के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 81, श्रम विभाग से संबंधित है सदस्य श्री प्रोमिला धीरज टोकस ने पूछा है, का उत्तर इस प्रत्र के साथ संलग्न है।

यह श्रमायुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्नः उत्तर

29/12/21
(एस.सी. यादव)

(अतिरिक्त श्रमायुक्त)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(श्रम विभाग)
5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 81
दिनांक : 03 जनवरी, 2022
प्रश्नकर्ता का नाम : श्रीमति प्रोमिला धीरज टोकस

	प्रश्न	उत्तर
क	दिल्ली सरकार द्वारा गैर संगठित मजदूरों के कल्याण के लिए कौन–कौन सी योजनाएँ चलाई जा रही है, कृपया पूर्ण विवरण प्रदान करें; और	गैर संगठित (निर्माण भवन एवं सन्निर्माण) पंजीकृत मजदूरों के लिए दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा 14 कल्याणकारी योजनाऍ चलाई जा रही है जिसका विवरण संलग्न है।
ख	यदि कोई नई योजना इस संबंध में बन रही है तो कृपया उसका भी संपूर्ण विवरण प्रदान करें?	दिल्ली के गैर संगठित मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उनके पंजीकरण का अभियान ई–श्रम पोर्टल पर चलाया जा रहा है। ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगार को आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मदद प्राप्त होने में सुविधा होगी। उपरोक्त पंजीकरण निम्न प्रकार से किया जा रहा है– 1. असंगठित कामगारों द्वारा स्व–पंजीकरण (सेल्फ रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर (https://register.eshram.gov.in /). 2. सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम से पंजीकरण (दिल्ली में 3000 सीएससी केंद्र में पंजीकरण हो सकता है) 3. श्रम विभाग के जिला कार्यालय में पंजीकरण। **गैर संगठित कामगार में निम्न प्रकार के वर्ग सम्मिलित है–** 1.घरेलू कामगार 2. पथ विकेता / हॉकर 4. स्कीम कामगार (आंगनवाडी / आशा / मिड डे मील वर्कर) 5. ऑटो / ई–रिक्शा / टैक्सी चालक 6. कूडा / कचरा बीनने वाले 7. सिर पर बोझ ढोने वाले / कूली 8. निर्माण मजदूर 9. स्व रोजगार जैसे : प्लम्बर, इलैक्ट्रीशयन,टेलर, नाई आदि 10. प्रवासी मजदूर 11. अन्य सभी कामगार जो ईएसआईसी आर ईपीएफ स्कीम के अंतर्गत नही आते हैं।

हस्ताक्षर

29/12/21

अतिरिक्त श्रमायुक्त

S.C. YADAV
Addl. Labour Commissioner

संलग्न

दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, दिल्ली सरकार

क्र.	लाभ/सहायता का नाम	सहायता राशि (Rs.)
1	बच्चे के जन्म पर लाभ (नियम-271)	Rs. 30,000/- (पहले २ बच्चों तक)
2	गर्भावस्था ख़तम / गर्भपात हो जाने पर (नियम-271(A))	Rs. 3,000/-
3	वृद्धावस्था पेंशन (नियम-273)	Rs. 3000/- हर महीना, 60 वर्ष की उम्र पूरे होने पर । हर साल पेंशन Rs. 300/- से बढ़ती है ।
4	मकान की खरीद/निर्माण के लिए सहायता (नियम-274)	Rs. 3,00,000/- : सदस्य की सेवानिवृति में 10 वर्ष का समय बाकी हो & Rs. 5,00,000/- : सदस्य की सेवानिवृति में 15 वर्ष का समय बाकी हो
5	विकलांग होने पर पेंशन लाभ(नियम-275)	Rs. 3,000/- हर महीना, उनके लिए जो टी.बी. पक्षाघात, लेप्रोसी या दुर्घटना वश स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं
6	स्थायी रूप से विकलांग होने पर, सहायता राशि (नियम-275)	Rs. 1,00,000/- , स्थायी रूप से विकलांगता की स्तिथि में
7	काम से जुड़े औज़ार खरीदने के लिए उधार (नियम-276)	Rs. 20,000/- , जहाँ निर्माण श्रमिककी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा नहीं हो
8	काम से जुड़े औज़ार खरीदने के लिए सहायता(नियम-276-A)	Rs. 5,000/- (5 वर्ष में एक बार)
9	अंतिम संस्कार के लिए सहायता (नियम-277)	Rs. 10,000/-
10	निर्माण श्रमिकके मृत्यु पर सहायता(नियम-278)	Rs. 1,00,000/- : अगर प्राकृतिक मृत्यु हो Rs. 2,00,000/- : अगर दुर्घटना वश मृत्यु हो
11	मेडिकल खर्चों के लिए सहायता लाभ (नियम-280)	Rs. 2,000/- अस्पताल में पहले 5 दिन भर्ती रहने पर Rs. 200/- हर दिन, पाँच दिनों के बाद - Rs. 10,000/- अधिकतम

29/12/21

S.C. YADAV
Addl. Labour Commissioner

	शिक्षा सहायता (नियम-281)	Rs. 500/- हर महीना (Class 1 to 8)
		Rs. 700/- हर महीना (Class 9 to 10)
		Rs. 1,000/- हर महीना (Class 11 to 12)
		Rs.3,000/- हर महीना (Graduation level) स्नातक स्तर
		Rs. 4,000/- हर महीना (ITI Course)
		Rs. 4,000/- हर महीना (5 Years LLB. Course) Rs. 3,000/- हर महीना. (L.LB 3 years Course) Rs. 5,000/- हर महीना. (Polytechnic Diploma)
12		Rs. 10,000/- हर महीना(Technical Course such as Engineering, Medical, MBA)
		दूरस्थ शिक्षा / ओपन लर्निंग स्कूल / कॉलेज / / प्राइवेट अध्ययन / और मान्यता प्राप्त स्कूल / कॉलेज / संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के सन्दर्भ में – नियमित अध्ययन के लिए स्वीकृत अनुदान का 75 प्रतिशत । यह वित्तीय सहायता किसी भी स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए केवल एक बार दी जाएगी ।
13	शादी के लिए लाभ (नियम-282)	Rs. 51,000/- : (पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक/ पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बेटी की शादी Rs. 35,000/- (पंजीकृत पुरुष निर्माण श्रमिक / पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बेटे की शादी
14	परिवार के लिए पेंशन (नियम-283)	Rs. 1,000/- हर महीना या अगर स्वर्गवासी निर्माण श्रमिक के पेंशन लाभ (अगर मिल रहा था) का 50%, जो भी अधिक हो

29/12/21

S.C. YADAV
Addl. Labour Commissioner